सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राज्य की खेल नीति 2013

युवा मामले एवं खेल विभाग

राज्य की खेल नीति-2013

परिचय

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा वर्ग की शक्ति को उत्पादक एवं अर्थ पूर्ण उद्देश्यों हेतु उपयोग में लिया जा सके, इसमें भी खेल अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी खेल नीति की आवश्यकता प्रदेश में लम्बे समय से महसूस की जा रही थी तथा यही कारण है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढावा देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

राजस्थान सरकार का यह दृढ मत है कि खेल मानव संसाधन विकास की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा खेलों को एक ऐसे माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो कि युवा वर्ग को अनुशाषित, आत्मविश्वासी, संगठित तथा एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करे तथा यह युवा वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का माध्यम बनें।

प्रस्तावित खेल नीति में राज्य सरकार के उपरोक्त मत को दृष्टिगत रखते हुए खेल नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। खेल नीति में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को उनके आवश्यकता के अनुरूप खेलों की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हो सकें ताकि वे स्वस्थ एवं अनुशाषित नागरिक के रूप में प्रदेश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दे सकें।

राज्य सरकार का यह भी दृढ़ मत है कि खेल मैदान, उपकरण एवं प्रशिक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही प्रतिभाशाली खिलाडियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया जाये। प्रस्तावित खेल नीति में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रस्तावित खेल नीति के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास होगा कि पूरे प्रदेश में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से खेलों के विकास हेतु आधारभूत खेल संरचनाऐं विकसित की जायें, जिससे अधिक से अधिक खिलाडियों विशेषकर उभरते हुए तथा होनहार खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण एवं सुविधाऐं प्रदान की जा सकें ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

उद्देश्य

प्रस्तावित खेल नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

- प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों को खेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खेलों में उत्कृष्टता को बढावा देना।
- खेलों के विकास हेतु उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, उसका संधारण करना तथा उपरोक्त आधारभूत ढांचे का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाडियों को प्रोत्साहित करना व सुविधायें प्रदान करना।
- प्रतिभाशाली खिलाडियों को सम्मानित करना तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु लगातार प्रोत्साहित करना।
- पैरा खिलाडियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधायें उपलब्ध करवाते हुए खेलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढावा देना एवं निरन्तर प्रोत्साहन देना।

दृष्टिकोण

प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास एवं प्रतिभाशाली खिलाडियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना तथा प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रिम राज्यों के रूप में स्थापित करवाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को पहचान दिलवाना।

2. आधारभूत खेल संरचना

खेलों के विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में खेल अधोसंरचनाओं का विकास प्रमुख होता है। इसी को मद्देनजर रखकर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से समन्वित स्टेडियम (आधारभूत संरचनाऐं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत खेलों के मैदानों के विकास एवं स्टेडियम के बुनियादी आधारभूत ढांचा विकसित करने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आधारभूत संरचनाओं के रख–रखाव के लिए वर्तमान वर्ष 2012–13 में 250 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस हेतु एक निश्चित राशि नियमित तौर पर दी जायेगी।

उपखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियमों के निर्माण अथवा उच्चीकरण हेतु 10.00 लाख रूपये तक की मैचिंग ग्रान्ट

प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर खेल स्टेडियमों के निर्माण अथवा उच्चीकरण हेतु स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, निजी सहयोग अथवा माननीय सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भी 10 लाख रूपये तक की मैचिंग ग्रान्ट दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का तकमीना एवं 10.00 लाख रूपये की अंशदान राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को भिजवाया जाना वांछनीय है।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

प्रस्तावित खेल नीति में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर संभाग स्तर तक खेलों के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार के लिए अपने स्तर पर इतनी विशाल धनराशि का प्रबंध करना एक दुश्कर कार्य होगा। अतः उपरोक्त आधारभूत खेल संरचनाओं के विकास हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक होगी। इससे जहां एक ओर राज्य सरकार को धनराशि का प्रबंध करने में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के ज्ञान एवं अनुभव का भी लाभ लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य की खेल नीति को प्रभावित किये बिना निम्न कदम प्रस्तावित किये जाते हैं :–

- यदि कोई प्रतिष्ठित एवं समर्थ संस्थान किसी स्थान विशेष पर स्टेडियम मय आधारभूत सुविधा या फिर किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु सार्थक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रोत्साहित करने हेतु यथा संभव सभी प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जायेगी यथा भूमि, तकनीकी सहयोग इत्यादि।

- यदि निजी क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठान किसी खेल विशेष के उन्नयन हेतु वार्षिक प्रतियोगिताओं के प्रायोजन (Sponsership), अकादमियों की स्थापना सहित नियमित खेल वातावरण बनाये जाने में सार्थक पहल के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसे भी सभी प्रकार की संभव मदद दी जायेगी।

राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, झुंझुनूं की स्थापना

राजस्थान में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की शिक्षा, शोध व ज्ञान के विस्तार के उद्देश्यों के साथ खिलाड़ियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनूं में खोला जायेगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिकतम तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इण्डोर व आउट डोर खेलों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जायेगा।

राजस्थान खेल विश्वविद्यालय, झुंझुनूं में खेल डिग्री, डिप्लोमा, फिजियोथेरेपी कोर्सेज, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज व अन्य खेल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के साथ खेलों से संबंधित शोध कार्य, विभिन्न खेलों की प्रशिक्षण सुविधाएं, खेलों से संबंधित साहित्य व खेल पत्रिकाओं का प्रकाशन, सेमीनार, वर्कशॉप तथा खेल विज्ञान केन्द्र आदि गतिविधियां संचालित की जायेगी।

3. प्रशिक्षण

- ## नियमित प्रशिक्षण

राज्य के सभी 33 जिलों में एवं राज्य स्तर पर होनहार प्रतिभाओं को तराशने और नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें निखारने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों को लगा रखा है। परिषद के प्रशिक्षकों के साथ–साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण देते हैं।

वर्तमान में जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण ढांचा है। इसे बढाकर ब्लॉक स्तर तक ले जाया जायेगा, जहां विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ–साथ होनहार खिलाडियों को निःशुल्क गहन प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जायेगा।

प्रदेश के 33 जिलों में जिला स्तर पर प्रचलित 5 से 9 खेलों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी एवं ब्लॉक स्तर पर 2 से 5 खेलों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

- ## प्रशिक्षण शिविर

जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर

सभी जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में हर वर्ष राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए इन्हें ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

केन्द्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर

राज्य के 17 वर्ष तक के उदीयमान खिलाडियों के खेल कौशल का विकास, सहिष्णुता एवं सामंजस्यता जैसे गुणों का उन्नयन करने के लिए दक्ष प्रशिक्षकों के सानिध्य में विभिन्न खेलों में प्रतिवर्ष माह मई–जून में एक 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन केन्द्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन पूर्ण आवासीय होता है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भोजन, आवास, उपकरण एवं प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

केन्द्रीय जनजाति ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर

उपरोक्त 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष माह मई–जून में जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भोजन, आवास, उपकरण एवं प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।

उपरोक्त शिविरों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है तथा इन्हीं खिलाडियों में से कुछ खिलाडी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रतिभा खोज

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से प्रतिभा खोज योजना प्रारंभ

की हुई है, जिसके अन्तर्गत 12 से 17 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जाकर चयनित खिलाडियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर जिलों एवं उपकेन्द्रों पर प्रतिवर्ष प्रतिभाखोज शिविर आयोजित करते हुए चयन किया जायेगा तथा इन्हें खेल विकास कार्यक्रम के तहत गहन प्रशिक्षण दिया जावेगा।

इस तरह चयनित प्रतिभाशाली खिलाडियों को रूपये 5,000/– की राशि एक वर्ष के लिए प्रति खिलाडी उपलब्ध करवाई जायेगी। इस तरह इस योजना के परिणामस्वरूप राज्य के सभी खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर खिलाडियों मात्रा में इजाफा हो सकेगा एवं प्रतिभायें पलायन से रूक सकेंगी।

खेल छात्रावास/खेल अकादमियां

राजस्थान विस्तृत भू–भाग के साथ विविध संस्कृतियों का संगम स्थल है। इसके अनुरूप ही पारंपरिक रूप से अनेक खेल प्रचलित हैं। ऐसे खेल जो सर्वाधिक प्रचलित हैं उनमें खिलाडियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित करते हुए संबंधित खेल में आगे बढाने के लिए खेल छात्रावास एवं खेल अकादमियों की स्थापना की जायेगी। जहां पर खिलाडियों को रहने के लिए आवास एवं पौष्टिक भोजन नियमित अध्ययन सुविधा के साथ उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में खेल छात्रावासों/खेल अकादमियों का एक सुविकसित ढांचा तैयार किया जाये, जहां से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार हो सकें। वर्तमान में प्रदेश में निम्नलिखित खेल छात्रावासों/खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है :–

- बालक एथलेटिक खेल छात्रावास, जयपुर।
- बालक वॉलीबाल खेल छात्रावास, जयपुर।
- बालक तीरन्दाजी खेल छात्रावास, जयपुर।
- बालिका वॉलीबाल खेल छात्रावास, जयपुर।
- बालिका एथलेटिक्स खेल छात्रावास, जयपुर।
- महिला बास्केटबाल अकादमी, जयपुर।
- महिला हॉकी अकादमी, अजमेर।
- बालक फुटबाल अकादमी, जोधपुर।
- बालक कबड्डी अकादमी, करौली।
- बालक बास्केटबाल अकादमी, जैसलमेर।

राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए संभाग/जिला स्तर पर अकादमियों की संख्या को यथा आवश्यकता बढाया जावेगा तथा इसके लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम (NPFP)

युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार से प्राप्त राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम का प्रारूप प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम में शारीरिक दक्षता, स्वस्थ्य व्यक्ति अधिक जीवित व अधिक कार्य करने की क्षमता होती है जिसमें सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र का निर्माण में वृद्धि व विकास होता है।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ स्कूली बच्चों का र्स्वागिण विकास करना है विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001 के अनुसार 2030 में भारत देश में हर तीन में से एक हृदय संबंधी, मधुमेय बीमारिया से ग्रसित होगा। कम उम्र में रक्त चाप, मधुमेय हृदय संबंधी रोग संबंधित रोकथाम के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में 6 मूल तत्व है, जो शारीरिक दक्षता में वृद्धि, शरीर में सही हृदय गति, मांसपेशियों में मजबूती एवं लचीलापन एवं शारीरिक संतुलन तथा स्कूली बच्चों को स्वस्थ्य रखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना।

केरला राज्य एवं हरियाणा राज्य में यह कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा स्थान रखता है। राजस्थान राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल सं. 79149 है, जिनमें कुल 7216872 छात्र–छात्राएं नामांकित है।

राजस्थान सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शिक्षा, चिकित्सा एवं युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा चलाया जायेगा।

4. खेल एवं खिलाडियों को प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा देश व प्रदेश के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाडियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौसला अफजाई करते हुए नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। खिलाडी शब्द से आशय : सामान्य खिलाडी, निशक्त खिलाडी (डीफ,पैरालिम्पिक) एवं जूनियर खिलाडी हैं।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को राजकीय नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है तथा खिलाडियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत भी लाभान्वित किया जावेगा।

खिलाडियों को दिये जाने वाले पुरस्कार, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खेल उपकरणों के क्रय, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण शिविर आदि में दी जाने वाली अनुदान राशि में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है, जो निम्न प्रकार है :–

1. क्रीड़ा निकायों द्वारा आयोजन/प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	पंचायत स्तर	10,000/– रु तक
2	तहसील स्तर/ ब्लॉक स्तर	15,000/–रु तक
3	जिला स्तर	50,000 /– रु तक
4	राज्य स्तर	1,00,000/– रु तक
5	अन्य क्षेत्रीय/विभागीय स्तर के टूर्नामेन्ट/ प्रतियोगिता	50,000/– रु तक

2. उपकरणों/किटों का क्रय

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	व्यक्तिगत	30,000/– रु तक
2	मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट खेल और क्रीड़ा संगठन/निकाय	किसी व्यष्टिक संस्था को उसके क्रियाकलापों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 20,000/– रु से 1,00,000/– रु तक। ऐसी सहायता केवल एक बार दी जाएगी।

3. किसी व्यक्ति को खेल और क्रीड़ा में प्रशिक्षण

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	राज्य के भीतर	20,000/– रु तक
2	राज्य के बाहर	50,000/– रु तक
3	देश के बाहर	2,00,000/– रु तक

4. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर	प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन के लिए 125./– रु और दो से तीन सप्ताह की अवधि के प्रत्येक शिविर के लिए 37,500/– रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए खेल शिक्षकों के मानदेय व्यय का 50 प्रतिशत

5. क्रीड़ा प्रकाशन का कार्य

विद्यमान
किसी व्यक्ति के मामले में 50,000/- रु की सीमा के अध्यधीन रहते हुए व्यय का 50 प्रतिशत (प्रकाशन की एक प्रति युवा मामले एवं खेल विभाग को मुफ्त उपलब्ध करानी होगी)

6. राज्य के बाहर भारत में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनुदान

विद्यमान
दोनों और का प्रथम श्रेणी का रेल किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतिदिन कम से कम 500/- रु /प्रशिक्षण तभी अनुज्ञेय होंगे जब भोजन और आवास, आयोजन करने वाले राज्य या किसी अन्य संस्था/निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

7. (क) भारत से बाहर अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में भाग लेने वाले के लिए अनुदान

(ख) खिलाड़ियों और खेल शिक्षकों/रेफरियों/टीम मैनेजर को पारितोषिक

विद्यमान
दोनों ओर का वायुयान का किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 500/- रु प्रतिदिन।

क. अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाऐं

क्र. सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	5,00,000/- रु तक
2	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	3,00,000/- रु तक
3	किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	2,00,000/- रु तक

ख. राष्ट्रीय स्पर्धाऐं

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	2,50,000/- रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	1,00,000/- रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	50,000/- रु तक

ग. राज्य स्पर्धाऐं

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	1,00,000/- रु तक
2	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	50,000/- रु तक
3	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	20,000/- रु तक

टिप्पणीः— प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली किसी टीम के मामले में टीम में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य पात्र होगा, बशर्ते कि आयोजित स्पर्धा वाणिज्यिक आधार पर न हो।

8. भवन के लिए अनुदान

अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
खेल मैदान/स्टेडियम या खेल और क्रीड़ा से संबद्ध किसी भवन/मैदान का निर्माण	प्राविधित व्यय का 25 प्रतिशत जो किसी एक मामले में 20.00 लाख रु से अधिक नहीं होगा।

9. मरम्मत के लिए या उसके सम्बन्ध में या स्टेडियम में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं मैदान या क्रीड़ा क्रियाकलापों के मरम्मत में उपयोग में आ रहे भवन के सुधार के लिए तदर्थ अनुदान दिया जा सकेगा।

विद्यमान
अधिकतम 5,00,000/— रु तक

10. क्रीड़ा के लिए मुख्यमंत्री/खेल मंत्री द्वारा घोषणाः— ऐसी टीम या व्यष्टिक खिलाड़ी का व्यक्ति जो खेल क्रियाकलापों या क्रीड़ा क्रियाकलापों के विकास के प्रति योगदान के कारण प्रशंसा का पात्र हो, का सम्मान करने हेतु समारोह आयोजित करने के लिए अनुदान

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त	1,00,000/— रु तक
2	राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त	50,000/— रु तक
3	राज्य स्तरीय	20,000/— रु तक

11. राज्य सरकार द्वारा क्रीड़ा सप्ताह आयोजित करने के लिए अनुदान

क्र.सं	अनुदान का विवरण	विद्यमान अनुदान
1	जिला स्तर पर	20,000/— रु तक
2	राज्य स्तर पर	50,000/— रु तक

12. खेल विभाग द्वारा सृजित क्रीड़ा कल्याण, निधि हेतु निधिया उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

विद्यमान
10,00,000/— रु तक

13. आयोजकों को प्रत्याभूति धन प्रदत्त किया जाएगा यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच/टूर्नामेन्ट राजस्थान में आयोजित किया जाए।

विद्यमान
जितने के लिए सरकार सहमत हो

यद्यपि खिलाडियों और खेल शिक्षकों/रैफरियों/टीम मैनेजरों को देय ईनाम दोनों ओर का वायुयान का किराया तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को 50/— रूपये प्रतिदिन से बढाकर दोनों ओर का वायुयान का किराया और प्रत्येक अभ्यर्थी को 500/— रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। किन्तु बढती हुई मंहगाई को देखते हुए इसमें समय—समय पर संशोधन किया जायेगा।

पदक विजेताओं को अन्य सुविधाएं

पदक जीतने पर राज्य सरकार ने नकद पुरस्कार के साथ–साथ अन्य सुविधाएं देने की भी योजना बनाई है।

राजस्व भूमि

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाडियों को प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर निःशुल्क व रियायती दर पर मकान व भूमि आवंटित की जा रही है। राजस्व उप निवेशन विभाग के आज्ञा क्रमांकः एफ. 3(55)उप/95 जयपुर, दिनांकः 29.09.2000 के भूमि आंवटन करने बाबत आदेश इस प्रकार है :–

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु इस विभाग के पत्रांक प. 31(49)राज/उप/77 दिनांक 27.07.82 के बिन्दु सं. 11(द) को ओर स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. ओलम्पिक, एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी सामान्य आवंटन की 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि के आवंटन के नियमानुसार आरक्षित मूल्य पर आवंटन के पात्र होंगे।
2. ओलम्पिक एशियाड़ एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राजस्थान के निवासी खिलाड़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्रों में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के पात्र होंगे तथा।
3. एवरेस्ट पर्वतारोहण में सफल राजस्थान के निवासी पर्वतारोही इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के पात्र होंगे।

उपरोक्तानुसार राजस्थान के निवासी खिलाड़ियों को जो कि स्वयं खेती का व्यवसाय अपनाना चाहते हैं और कर सकते हो, को निर्धारित प्रक्रिया अपना कर भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा

अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।

राजकीय नौकरी में आरक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस् और खेलों में यथा बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व के विश्वविधालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों, ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा या टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तथा जिन खिलाडियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, उन सभी खिलाडियों को कतिपय राजकीय सेवाऐं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं एवं जो परिधि से बाहर हैं, में भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त खेल संघों एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताऐं इस हेतु मान्य होंगी।

इस संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा पृथक से दिनांक 15.03.2013 को अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

नोट :– किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने वाले अथवा इस प्रकार की अन्य गतिविधियों में सम्मिलित खिलाडी को उपरोक्त वर्णित कोई भी परिलाभ/सुविधा देय नहीं होगी।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, यात्रा, बीमा, इलाज आदि की सहायता

प्रदेश को जिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक की उम्मीद है, उनके लिए राज्य सरकार विशेष पैकेज बनाएगी। जिसमें उनकी तैयारियों को लेकर उच्च–स्तरीय प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, बीमा एवं इस दौरान यदि कोई चोट लगती है, तो उसके इलाज का खर्चा आदि शामिल होगा।

खिलाडी पेंशन योजना

राज्य के जिन खिलाडियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया हो एवं ओलम्पिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया हो तथा जिनकी आयु 40 वर्ष या इससे से अधिक हो, को निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से प्रति माह पेंशन दी जायेगी :–

क्र.सं.	प्रतियोगिता का स्तर	स्वर्ण	रजत	कांस्य	भाग लिया
1.	ओलम्पिक खेल	5000/-	5000/-	5000/-	2000/-
2.	एशियन गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप एवं सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप	4000/-	3500/-	3000/-	-
3.	सीनियर एशियन चैम्पियनशिप, सीनियर कॉमनवैल्थ चैम्पियनशिप, सैफ गेम्स	3000/-	2500/-	2000/-	-
4.	राष्ट्रीय खेल/सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता	2000/-	1500/-	1000/-	-

जिस खिलाडी को पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जायेगी, उसको राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई वित्तीय लाभ दिये जा रहे है या दिये जायेंगे, उसको इससे नहीं जोडा जायेगा।

जिन खिलाडियों ने 30 वर्ष तक लगातार खेलों में भाग लेकर प्रदेश एवं देश का गौरव बढाया हो और उन्होंने खेल से सन्यास ले लिया हो, वो भी इसके पात्र होंगे।

जिन खिलाडियों को पेंशन का लाभ दिया जायेगा उनको एक अन्डर टेकिंग देनी होगी कि 60 वर्ष की आयु तक राज्य में जिस स्थान के वे निवासी हैं वहां पर अपने खेल में एक घन्टे प्रतिदिन राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा संचालित केन्द्र पर प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। जिससे उनके अनुभवों का लाभ युवा खिलाडियों को मिल सके।

खिलाडियों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक फण्ड की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम खिलाडी पेंशन योजना होगा। इस योजना के लिए विस्तृत गाईड-लाईन पृथक से जारी की जायेगी।

इस फण्ड के प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु एक कमेटी होगी जो निम्न प्रकार है :-

1. माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग — **अध्यक्ष**
2. प्रमुख/ शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राज.सरकार — **सदस्य**
3. राज्य का अर्जुन अवॉर्डी खिलाडी — **सदस्य**
4. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर — **सदस्य सचिव**

खिलाडियों को दैनिक भत्ता

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी खेल संघों को राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु खिलाडियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढावा देने की नीति के तहत जिला स्तर पर भी 100/- रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जायेगा। जो खेल संघ किसी भी कारण विशेषकर प्रक्रियाओं की वजह से अभी दैनिक भत्ता नहीं उठा पा रहे हैं उन्हें शीध्र आवश्यक स्वीकृतियां दिलाकर सम्बद्ध किया जायेगा ताकि वे भी खेल सुविधाओं का उपयोग कर सकें।

- राष्ट्रीय स्तर पर 300/- रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर में 200/- प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर 200/- रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जा रहा है।
- जिला स्तर पर 100/- रूपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

उत्कृष्टता पुरस्कार

खेल रत्न पुरस्कार

- ऐसे खिलाडी जो किसी वर्ष विशेष में असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित करते हैं, उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसे खिलाडियों का चयन किया जायेगा

जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित किसी खेल में पदक प्राप्त किया हो। खेल रत्न पुरस्कार के तहत रूपये 2.00 लाख नकद, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जायेगी। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है :–

- माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग — **अध्यक्ष**
- प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग — **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता — **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक — **सदस्य**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद — **सदस्य सचिव**

पात्रता

खेल रत्न पुरस्कार हेतु वे खिलाडी चयन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय, सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ऐसे खेलों में प्राप्त किया हो, जो राजस्थान खेल नीति में वर्णित हैं तथा उपरोक्त खिलाडियों की उत्कृष्टता का स्तर गत तीन वर्षों तक लगातार निरन्तर रूप से जारी रहा हो। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में केवल भागीदारी करने मात्र से ही खेल रत्न पुरस्कार हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पात्र खिलाडी को उपरोक्त प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है।

महाराणा प्रताप पुरस्कार

महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुररकार के तहत 51,000/– रूपये नकद, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जाती है।

महाराणा प्रताप पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखने हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया है :–

- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद — **अध्यक्ष**
- शासन उप सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग — **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता — **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक — **सदस्य**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद — **सदस्य सचिव**

उक्त समिति खिलाड़ियों का चयन कर चयनित खिलाड़ियों की सूची माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी, तदुपरान्त पुरस्कार वितरण किया जयेगा।

पात्रता

महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए ऐसे खिलाडी जिन्होंने मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय, सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ऐसे खेलों में प्राप्त किया हो जो कि खेल नीति में वर्णित हैं एवं उनकी उत्कृष्टता का स्तर विगत तीन वर्षों तक निरन्तर रूप से कायम रहा हो, पात्र होंगे। किसी भी टूर्नामेन्ट में केवल भागीदारी महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पात्र नहीं बना देगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पात्र खिलाडी को उपरोक्त प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है।

प्रशिक्षकों हेतु पुरस्कार

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की शुरूआत राज्य के ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिन्होंने अपने खिलाडियों को उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान किया हो। इस पुरस्कार के अन्तर्गत रूपये 50,000/– रूपये नकद, गुरू वशिष्ठ की प्रतिमा, ब्लेजर एवं टाई प्रदान की जाती है।

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार चयन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :–

- माननीय राज्यमंत्री महोदय युवा मामले एंव खेल विभाग — **अध्यक्ष**

- प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक **सदस्य**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद **सदस्य सचिव**

पात्रता

- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने एशियाई, राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित की गई टीम ने ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप, एशियाई खेल, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेल अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता हो।
- उपरोक्त प्रदर्शन तीन वर्ष तक निरन्तर रहना आवश्यक है।
- इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में प्रशिक्षित खिलाडी या टीम के द्वारा केवल भागीदारी करने मात्र से ही गुरू वशिष्ठ पुरस्कार हेतु पात्रता पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गुरू वशिष्ठ पुरस्कार हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जायेगा जब प्रशिक्षित खिलाडी या टीम के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक जो परिषद में प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी तैयार किये हों, गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के पात्र होंगे।

खेल पत्रकारिता पुरस्कार

खेलों एवं खिलाडियों के विकास के लिए किये गये रचनात्मक कार्यों के लिए राज्य स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर खेल पत्रकारों को इस पुरस्कार से नवाजा जायेगा। राज्य स्तर के इस पुरस्कार के अन्तर्गत 21,000/– रूपये नकद व प्रशस्ति पत्र तथा क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार के अन्तर्गत 15,000/– रूपये नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।

इस पुरस्कार चयन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :–

- माननीय राज्यमंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग **अध्यक्ष**
- प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग **सदस्य**
- राजस्थान के दो अर्जुन पुरस्कार विजेता **सदस्य**
- प्रमुख खेल प्रशासक **सदस्य**
- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद **सदस्य सचिव**

राजस्थान राज्य खेल विकास फण्ड :–

खिलाडियों को दिये जाने वाले पुरस्कार, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खेल उपकरणों के क्रय, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण शिविर आदि में दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए पृथक से राजस्थान राज्य खेल विकास फण्ड सृजित किया जायेगा, जिसमें राजकीय अनुदान, स्टेडियमों को विभिन्न गतिविधियों के लिए लीज/किराये पर दिये जाने से प्राप्त राशि एवं राजकीय उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, परोपकारियों, अप्रवासी भारतीयों आदि के द्वारा दिये डोनेशन्स् के माध्यम से फण्ड जुटाया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा पृथक से राजस्थान राज्य खेल

विकास फण्ड के लिए बोर्ड ऑफ टस्ट्रीज का गठन किया जायेगा एवं गाईड–लाईन्स जारी की जायेगी।

5. हितबद्ध पक्ष

खेल विभाग

राजस्थान सरकार का युवा मामले एवं खेल विभाग प्रदेश में खेलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहा है। इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम बने हुए हैं। प्रतिभाशाली खिलाडियों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ नवीन खेल योजनाओं को अमलीजामा पहनाना युवा मामले एवं खेल विभाग का प्रमुख उद्‌देश्य है।

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

राज्य में खेलों के विकास एवं खेल योजनाओं के क्रियान्वयन की अपेक्स संस्था के रूप में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का गठन राजस्थान सोसायटीज अधिनियम, 1958 के तहत राजकीय पंजीकृत संस्था के रूप में किया हुआ है। प्रदेश में खेलों को बढावा देने के साथ–साथ युवा मामले एवं खेल विभाग की नीतियों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं को जिला स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना परिषद का मुख्य उद्‌देश्य है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद प्रदेश में खेल स्टेडियमों का निर्माण एवं रख–रखाव सुनिश्चित करती है। साथ ही विभिन्न खेलों की आवश्यकतानुसार खेल उपकरणों की खरीद व रख–रखाव, खेल अकादमियों व खेल छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन, खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रतिभाशाली खिलाडियों को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, विशिष्ट लक्ष्य आधारित खेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा राज्य खेल संघों के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ विभिन्न राज्य तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों को दैनिक व यात्रा भत्ता भी राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है।

उक्त दायित्वों की पूर्ति के लिए राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद पूर्णतः समर्पित संस्थान है। राज्य के खिलाडियों को पूर्ण क्षमता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए क्रीडा परिषद में प्रशिक्षण संवर्ग को खेल प्रबंधन कार्यों से पृथक करते हुए पूर्ण संवर्ग का दर्जा दिया जायेगा तथा खेल प्रबंधन हेतु पृथक संवर्ग का सृजन किया जायेगा।

वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण ढांचा है। जिससे यहां नियमित प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कार्य होतें हैं। क्रीडा परिषद की प्रशासनिक व प्रशिक्षण सुविधाओं को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जायेगा जिससे केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पायका का प्रभावी संचालन भी संभव हो सकेगा।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय खेल प्राधिकरण

युवा मामले एवं खेल विभाग तथा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद प्रदेश में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में समन्वय स्थापित कर इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के प्रयास किये जायेंगे।

शिक्षा विभाग

प्रदेश में खेलों के विकास में शिक्षा विभाग की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बालक एवं बालिकाओं में खेल प्रतिभा का बीज उनके स्कूल के दिनों से ही अंकुरित हो सकता है। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन के कालांशों में से एक कालांश खेलों के लिए अनिवार्य विषय के रूप से रखा जायेगा।

इसके साथ ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों एवं खेल गतिविधियों में शिक्षा विभाग के बालक–बालिकाऐं निश्चित रूप से भाग लेंगे। चूंकि सामान्यतः यह देखा गया है कि जो बालक एवं बालिकाऐं खेलों में आगे बढते हैं वे अध्ययन में पिछड जाते हैं। अतः स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में ऐसे बालक–बालिकाओं का प्रवेश में 5 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसी प्रकार महाविधालय एवं विश्वविधालय स्तर पर भी प्रवेश में उपरोक्त बालक–बालिकाओं का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से

सम्बद्धता प्राप्त एवं पंजीकृत खेल संघों की प्रतियोगितायें इस हेतु मान्य होंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग से विचार–विमर्श कर पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

खेल संघ एवं खेलों का वर्गीकरण

खेलों को बढावा देने में खेल संघ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा राज्य सरकार की तरफ से इन्हें हरसंभव मदद दी जाती है। खेल संघों की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की ओर से दैनिक एवं यात्रा भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के साथ–साथ निःशुल्क आवास सुविधा तथा दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता का भुगतान भी राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की ओर से किया जाता है। खेल संघों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही उनकी स्वायत्तता भी अक्षुण रहे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रयास किये जायेंगे। खेल संघों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं के कलेण्डर जारी किये जायेंगे।

खेलों का वर्गीकरण

ओलम्पिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमण्डलीय खेलों तथा राष्ट्रीय खेलों की आयोजित प्रतियोगिताओं में खेले जाने वाले खेलों को प्रथम श्रेणी की सूची में रखा जायेगा तथा अन्य वे खेल जो उपरोक्त प्रतियोगिताओं में नहीं खेले जाते हैं, को द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।

खेल अधिनियम व नियम

प्रदेश में खेलों व खेल संघों के सुव्यवस्थिकरण हेतु राजस्थान क्रीडा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 लागू है। उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदेश में खेल संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन की कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों की पालना भी अनिवार्य होगी :–

- राज्य/जिला स्तरीय खेल संघों के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 12 वर्ष (अन्तराल एवं बिना अन्तराल के) होगा। पुनः किसी पद पर चुनाव लडने के लिए 4 वर्ष का अन्तराल जरूरी होगा।
- राज्य/जिला स्तरीय खेल संघों के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- क्रीडा परिषद एवं ओलम्पिक संघ के अलावा किसी एक खेल संघ का पदाधिकारी किसी अन्य खेल संघ का पदाधिकारी नहीं हो सकता है।
- किसी खेल संघ के निर्वाचित सदस्य को कुल सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है।
- खेल संघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
- प्रत्येक खेल संघ को अपनी सम्बद्धता का राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा, जिसके लिए प्रतिवर्ष 1 से 30 अप्रेल तक राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में आवेदन दिये जा सकेंगे।
- राज्य खेल संघों के चुनाव में संबंधित जिला खेल संघों के चुनाव लडने के पात्र पदाधिकारियों को मतदान करने का भी अधिकार होगा।
- खेल संघों के सदस्यों में 25 प्रतिशत सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडी होंगे।

निरसन

खेल अधिनियम–2005, केन्द्र एवं राज्य सरकार व क्रीडा परिषद द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा राज्य खेल नीति के प्रावधानों में कहीं भी असंगता नहीं होगी। असंगता की दशा में राज्य खेल नीति के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

6. विज्ञान एवं तकनीक

बदलते युग में विज्ञान एवं तकनीक खिलाडियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। खेलों में प्रशिक्षण के साथ–साथ विज्ञान एवं तकनीक का प्रचलन आम हो गया है। इसके अन्तर्गत खिलाडियों के कौशल व शक्ति के साथ–साथ मानसिक एकाग्रता पर जोर दिया

जाता है। प्रतियोगी युग में इसका उपयोग करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

खेल विज्ञान केन्द्र

आधुनिक युग में खेल विज्ञान खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाता है। इस खेल विज्ञान केन्द्र में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता एवं उनके प्रदर्शन में निरंतर परिवर्तनों का संधारण किया जाता है जिसके आधार पर प्रशिक्षक उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय–समय पर बदलाव लाते हैं। अतः इस केन्द्र में जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स, खेल मनोविज्ञान व खेल चिकित्सा के विभाग होंगे। सर्वप्रथम स्पोर्टस् मेडीसन, फिजियो थैरेपी एवं योग के विशेषज्ञ कार्मिकों आदि से युक्त यह केन्द्र क्रीडा परिषद मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जायेगा। इसके बाद संभागीय मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जायेगी।

सूचना प्रोद्योगिकी

प्रदेश की जनता प्रदेश में उपलब्ध खेल संरचनाओं एवं खेल सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। इस हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा एक वेबसाईट विकसित की जायेगी जिस पर प्रदेश में उपलब्ध खेल संरचनाओं एवं खेल सुविधाओं के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट पर राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी चैम्पियनशिप एवं प्रतियोगिताओं के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद खेलों से संबंधित समस्त जानकारियां एक त्रेमासिक पत्रिका "न्यूज लैटर" के माध्यम से प्रकाशित कर प्रदेश की जनता तक उपलब्ध कराती है।

इसके साथ ही प्रत्येक जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में एक खेल पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी जिसमें खिलाडियों एवं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं सीडी रोम्स इत्यादि संधारित किये जायेंगे। इसी प्रकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुस्तकालय स्थापित किया जायेगा जिसमें खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, महान खिलाडियों की जीवनियां इत्यादि का संधारण किया जायेगा।

योग

वर्तमान जीवन की भाग–दौड एवं उससे उपजे तनाव से हमारा खिलाडी वर्ग भी अछूता नहीं है एवं बहुत बार खिलाडियों के द्वारा तनाव की स्थिति में आत्महत्या जैसे कदम उठाने की घटनायें सामने आती हैं। इसलिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में खिलाडियों के लिए एक योग केन्द्र स्थापित करेगी, जहां पर खिलाडियों के मानसिक दबाव में आने की स्थिति में उन्हें समुचित योग प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानसिक दबाव की परिस्थितियों में विभिन्न योग पद्धतियां बहुत कारगर सिद्ध होती हैं।

7. विशेष खेल गतिविधियां

महिला खेल

राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश में महिलाओं को भी खेलों में भाग लेने हेतु समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। इस हेतु वर्तमान में भी महिलाओं के लिए ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है तथा राज्य की महिला टीमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती हैं।

महिलाओं को स्वयं की रक्षा के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्तमान समय में महिलाओं पर हो रही हिंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें स्वयं की रक्षा के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जूडो–कराते, ताईक्वांडो, कुंग्फू, मुक्केबाजी आदि में प्रशिक्षित किया जायेगा।

जनजातीय खेल

जनजातीय क्षेत्रों में खिलाडियों की उत्कृष्टता को बढावा देने हेतु विशेष सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान कर उन्हें तराशा जाता है तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष

जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित खेलों की सब–जूनियर, जूनियर एवं सीनियर स्तर की प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं।

बंद हुई खेल प्रतियोगिताओं को पुनर्जीवित करना

यह देखने में आया है कि विगत कुछ वर्षों में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाने वाली कुछ खेल प्रतियोगिताऐं बन्द हो गई हैं। ये खेल प्रतियोगिताएं प्रायोजकों, संस्थाओं, खेल प्रेमी संगठनों, खेल प्रेमियों आदि के द्वारा आयोजित की जाती थीं। उक्त प्रतियोगिताओं के बन्द होने के कई कारण रहे हैं जिनमें आयोजन हेतु धन का अभाव प्रमुखतम है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन बंद हो जाने से राज्य के खेल वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढावा देने की नीति के तहत वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत रूपये 50.00 लाख का प्रावधान इस हेतु किया गया है। इस प्रावधान को उपयोगिता के आधार पर बढाते हुए नियमित किया जायेगा।

राजस्थान के परम्परागत खेल

राजस्थान का इतिहास शोर्य, बलिदान व बहादुरी का ही इतिहास नहीं है बल्कि परम्परागत खेलों का भी इतिहास है। राजस्थान के परम्परागत खेलों से मानसिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। राजस्थान के परम्परागत खेलों में पारीवारिक एवं स्थानीय नागरिकों के द्वारा खेले जाते है। वर्तमान समय में परम्परागत खेलों की जगह क्रिकेट, पैरा गलाईण्डिग, पर्वतारोहण आदि खेलों ने ले लिया है।

राजस्थान परम्परागत मुख्य खेल है– 1. पोलो 2. ऊँट व घोड़ा गाड़ी दौड़ 3. पंतगबाजी 4. गुला–डण्डी 5. कंचिया (कांच की गोलिया) 6. सतोलिया (गेंद व सात पत्थर) 7. कबड्ड़ी 8. गोफण चलाना 9. नटणीया खेल आदि खेल है।

राजस्थान के परम्परागत खेल जो छोटे–छोटे गांवों में खेले जाते है। परम्परागत खेलों के विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए पायका योजना (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान) के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर निमित्त गतिविधियों के माध्यम से परम्परागत खेलों का बेहतर वातावरण तैयार किया जायेगा।

साहसिक खेल

वर्तमान युग में युवाओं में आत्मविश्वास की कमी महसूस की जाती रही है, जिससे कई बार वे मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। साहसिक खेलों के माध्यम से मानसिक अवसाद को काफी कम किया जा सकता है। सामान्यतः साहसिक खेल तीन प्रकार के होते हैं, जो हवा, पानी और जमीन पर होते हैं। साहसिक खेलों को बढावा देने की दिशा में राज्य सरकार इसे उचित प्रोत्साहन देगी।

राजस्थान मरू साहसिक संस्थान

राजस्थान एक मरू व भौगोलिक विभिन्नता का प्रदेश है। राज्य के मरू जिलों जैसे– जैसलमेर, जोधपुर, बाडमेर, बीकानेर, आदि में कई तरह के साहसिक खेल तथा रणथम्भौर, सरिस्का, तालछापर, कुम्भलगढ़, माउण्ट आबू वन्य जीव अभ्यारण्यों में पर्यटकों को सफारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अलवर में स्थित सिलिसेढ़, उदयपुर में पिछौला एवं जयसमंद झील, जैसलमेर में गढ़ीसर, कोटा में चम्बल नदी, माउण्ट आबू में नक्की झील तथा जोधपुर में कायलाना झील में नौकायन की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं तथा मरू प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक संपदा जैसे रॉक टाईप्स, ड्यून आईप्स, विशिष्ट पौधों की विभिन्न प्रजातियों का भंडार है।

साहसिक खेलों में इच्छुक युवा खिलाड़ियों द्वारा अपने भविष्य का विकास कर स्वरोजगार व व्यवसाय स्थापित कर मरू जिलों का विकास करने, प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने एवं राज्य के युवाओं में साहसिक खेलों के माध्यम से बौधिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक लगन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान में भारतीय पर्वतारोहण संस्थान (आई.एम.एफ.) जैसी ही राजस्थान मरू साहसिक संस्थान की स्थापना आवश्यक है।

यह संस्थान राज्य में भारत सरकार के द्वारा घोषित एडवेंचर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, युवाओं में एडवेंचर खेलों / कोर्सेज में भाग लेने व राज्य में एडवेंचर

गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संचालन व क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख साहसिक गतिविधियां :–

पैरासिलिंग, रॉक क्लाईमिंग, स्केईंग, स्केटिंग, रीवर रैफ्टिंग, माउण्टेनिंग, कैम्पिंग एवं रैकिंग इत्यादि।

प्रमुख मरू साहसिक गतिविधियां :–

केमल सफारी, जीप सफारी, हॉर्स सफारी, ट्रैकिंग, कैम्पिंग, हॉट बैलूनिंग, पैरासिलिंग इत्यादि।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पायका खेल

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढावा देने हेतु प्रतिवर्ष पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर पायका खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर चयनित खिलाडी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उपरोक्त खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पायका योजना के अन्तर्गत आने वाले 10 वर्षों में प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर

पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के तहत आगामी 10 वर्षो में राज्य के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदानों का विकास करवा लिया जायेगा। पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत 10 खेलों हेतु प्रतियोगितायें प्रतिवर्ष आयोजित की जायेंगी। उपरोक्त 10 खेलों में एथलेटिक्स, वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो–खो, कुश्ती, हॉकी, जूडो, हैण्डबाल तथा तीरन्दाजी सम्मिलित हैं। पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त 10 खेलों में से उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित किन्हीं 5 खेलों का आयोजन करवाया जायेगा। उपरोक्त प्रतियोगिताओं में चयनित खिलाडी जिला एवं राज्य स्तर पर खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर

पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के तहत आगामी 10 वर्षो में राज्य के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का विकास करवा लिया जायेगा।

उपरोक्त जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, पंचायत समिति मुख्यालय स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय खेल संरचनाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के द्वारा प्रत्येक संभाग स्तर हेतु कम से कम 12 खेल प्रशिक्षक, प्रत्येक जिला स्तर हेतु कम से कम 3 से 7 खेल प्रशिक्षक, प्रत्येक तहसील स्तर हेतु कम से कम 2 से 5 खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही उपरोक्त खेल गतिविधियों में समन्वय एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीडा परिषद, तहसील एवं पंचायत समिति स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न सदस्यों की एक समिति उत्तरदायी होगी :–

1. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का खेल प्रशिक्षक।
2. उपलब्ध खेल मैदान से सम्बद्ध स्थानीय राजकीय विधालय के संस्था प्रधान।
3. स्थानीय राजकीय विधालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक।
4. स्थानीय सरपंच।

❑❑❑